

मोद

(10)

31-08-2022

वाद पुराना गमा। अन्तिम मोहन सिंह
मेहता की हाजिरी विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्द
सिंह भण्डारी द्वारा पेश। स्वीकृत। नायिका अधिवक्ता
श्री मोहनराज कार्पे उपस्थित हैं। उभयपक्ष के
विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पतावली दिनांक 06.09.2022 को वापस निर्णय
पेश हो। अन्तिम आदेश में 437 A डिस. का
अनुपालन किया जाना (निर्णय विधि से पूर्व)
सुनिश्चित करें।

(मंजु सिंह मुण्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागेश्वर